भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 219*
(09 मार्च, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास कार्य

***219. श्री हाजी फजलुर रहमान:**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा गोद लिए गए गांव में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य गांवों में किए गए कार्यों के अलावा एसएजीवाई के अंतर्गत गोद लिए गए गांवों में अतिरिक्त विकास कार्य करने के लिए कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. *219 (19वां स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): एसएजीवाई के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतें माननीय संसद सदस्यों के मार्गदर्शन में एक भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिकता आधारित समयबद्ध परियोजनाओं वाली ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं। एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम विकास योजना में शामिल परियोजनाएं मुख्य रूप से एसएजीवाई दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध आठ क्षेत्रों में अर्थात व्यक्तिगत विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास, बुनियादी सुविधाएं एवं अवसंरचना, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन से संबंधित होती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए जा सकने वाले कार्यों की विस्तृत सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

एसएजीवाई के अंतर्गत निर्धारित की गई 2043 ग्राम पंचायतों में से 1,571 ग्राम पंचायतों ने गांवों का सर्वांगीण और समेकित विकास करने के उद्देश्य से वीडीपी तैयार कर ली है और 77,248 परियोजनाओं वाले अपने वीडीपी को एसएजीवाई की वेबसाइट (http://saanjhi.gov.in) पर अपलोड कर दिया है तथा 03 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 48,774 परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। ग्राम विकास परियोजनाओं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धारित परियोजनाओं की संख्या तथा उनकी प्रगति से संबंधित ब्यौरा saanjhi.gov.in पर उपलब्ध है और माननीय संसद सदस्यों के संबंधित लॉगइन का उपयोग करके इसे देखा जा सकता है। ग्राम विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/कार्यकलापों की क्षेत्र-वार स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ख) से (घ): जी हां। संबंधित संसद सदस्य की सहमति प्राप्त करने के बाद ग्राम सभा और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त विकासात्मक कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा, एसएजीवाई के अंतर्गत निर्धारित की गई ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता तय करने में मदद करने के उद्देश्य से 23 केंद्रीय योजनाओं के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है/एडवाजरी जारी की गई हैं। एसएजीवाई के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक साधन के रूप में तालमेल के उपाय के अंतर्गत कई स्रोतों अर्थात सीएसआर निधि, निजी, स्वैच्छिक और सहकारी (पीवीसी) क्षेत्रों के साथ भागीदारी से और ग्राम पंचायत के स्वयं के राजस्व से, वस्तु और श्रम के रूप में जुटाए गए संसाधनों, संबंधित एजेंसियों द्वारा स्वयं के निवेशों और पीपीपी इत्यादि से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 219 के उत्तर के बिंदु (क) में उल्लिखित विवरण

एसएजीवाई के दिशानिर्देशों में दी गई सूची के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में किए जा सकने वाले कार्यों की सूची

1. ग्रामवासियों के व्यक्तिगत विकास के लिए किए जा सकने वाले कार्यकलापों में शामिल हैं:-
   i. साफ-सफाई की आदत डालना और उसका अभ्यास कराना
   ii. रोज व्यायाम करने और खेल खेलने सहित स्वस्थ रहने की आदतें विकसित करना
   iii. जोखिम वाली आदतों को कम करना-शराब पीना, धूम्रपान करना, मादक द्रव्यों का सेवन
2. गांव के मानव विकास के लिए किए जा सकने वाले कार्य हैं:
   i. स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा परीक्षण सहित सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना
   ii. संपूर्ण टीकाकरण
   iii. लिंग अनुपात को संतुलित करना
   iv. 100 प्रतिशत संस्थागत आपूर्ति
   v. बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान देते हुए सभी के पोषण स्तर में सुधार करना
   vi. दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी), विशेष रूप से बच्चे और महिलाओं की विशेष जरूरतों पर खास ध्यान देना
   vii. 10वीं कक्षा तक सभी के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और शिक्षा जारी रखना
   viii. स्कूलों को 'स्मार्ट स्कूलों' में बदलना। स्मार्ट स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अपेक्षित आईटी आधारित अध्ययन कक्ष, ई-पुस्तकालय, वेब आधारित शिक्षण की व्यवस्था होगी और सभी छात्रों को ई-साक्षर बनाया जाएगा
   ix. प्रौढ़ साक्षरता
   x. ई-साक्षरता
   xi. ई-पुस्तकालय सहित गांव पुस्तकालय
3. गांव के सामाजिक विकास के लिए शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलापों में शामिल हैं:-
   i. भारत निर्माण स्वयं सेवकों की तरह स्वयं सेवा के कार्य को बढ़ावा देने के लिए

कार्यकलाप

ii. स्थानीय विकास में पूर्ण भागीदारी और योगदान करने के लिए लोगों का क्षमता विकास करना

iii. गांव के बुजुर्गों, स्थानीय रोल मॉडलों विशेष रूप से महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को सम्मानित करने का कार्यक्रम

iv. हिंसा और अपराध मुक्त गांव बनाने के कार्यकलाप जैसे
   क. नागरिक समितियां बनाना
   ख. जागरुक करना, विशेष रूप से युवाओं

v. ग्राम खेल और लोक कलाओं का त्योहार

vi. लोगों में गर्व की भावना पैदा करने के लिए विलेज सॉग तैयार करना

vii. 'ग्राम दिवस' मनाना

viii. सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल और एकजुट करने के सक्रिय उपाय करना

4. गांव के आर्थिक विकास के लिए किए जा सकने वाले कार्य

आर्थिक कार्यकलापों में परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिसके लिए महिला एसएचजी को संगठित और संघबद्ध करना, सभी कामगारों को रोजगार देना और वित्तीय समावेशन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के आर्थिक विकास के लिए किए जा सकने वाले कुछ कार्यकलापों में शामिल हैं:-

i. पशुधन और बागवानी सहित विविधतापूर्ण कृषि और इससे संबद्ध आजीविकाओं को निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से बढ़ावा देना:
   क. जैविक खेती
   ख. सॉइल हेल्थ कार्ड
   ग. फसल आधिक्य जैसे एसआरआई
   घ. बीज बैंक स्थापित करना
   ङ. गैर-इमारती वन उत्पाद (एनटीएफपी) का संग्रहण और मूल्य संवर्धन
   च. गोबर बैंक, कैटल होस्टल इत्यादि सहित पशुधन विकास
   छ. सूक्ष्म सिंचाई
   ज. कृषि सेवा केंद्र

ii. ग्रामीण औद्योगीकरण जैसे:
   झ. फसल की कटाई के बाद तकनीकी का अनुप्रयोग
   ञ. सूक्ष्म उद्यम
   ट. डेयरी विकास और प्रसंस्करण
   ठ. खाद्य प्रसंस्करण
   ड. पारंपरिक उद्योग

iii. स्व-रोजगार और नियोजन के लिए सभी पात्र युवाओं का कौशल विकास

iv. इको-टूरिज्म पर विशेष ध्यान देते हुए ग्राम पर्यटन

5. गांव के पर्यावरण विकास के लिए किए जा सकने वाले कार्यकलापों में शामिल हैं:

i. स्वच्छ और हरित ग्राम के लिए कार्यकलाप जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

क. प्रत्येक परिवार में और सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालय की व्यवस्था करना तथा उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना

ख. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था

ii. सड़क के किनारे पौधरोपण

iii. हरियालीयुक्त रास्तों सहित आवासीय भूमि, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थाओं में स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार पौधरोपण

iv. सामाजिक वानिकी

v. वाटरशेड प्रबंधन विशेष रूप से पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण और पुनरुद्धार

vi. वर्षा जल संग्रहण - छत पर और अन्य स्थान पर

vii. स्थानीय वायु, जल, और भूमि प्रदूषण को कम करना

6. गांव में बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किए जा सकने वाले कार्यों में शामिल हैं:

i. सभी आवासहीन गरीबों/कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों के लिए पक्के मकान

ii. पेयजल, विशेषत: घरेलू नलों से पाइप के माध्यम से उपचारित जल

iii. ढके हुए नालों के साथ आंतरिक बारहमासी सड़कें बनाना

iv. मुख्य सड़क नेटवर्क तक बारहमासी सड़क संपर्क

v. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, विशेष रूप से सौर सहित सभी घरों को बिजली का कनेक्शन और स्ट्रीट लाइट

vi. सार्वजनिक संस्थाओं-आंगनवाड़ियों, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत कार्यालय और पुस्तकालयों के लिए पक्की अवसंरचना

vii. एसएचजी संघों के लिए सामुदायिक सभागार, खेल के मैदान और कब्रिस्तान/शवदाहगृह सहित नागरिक अवसंरचना

viii. ग्राम बाजार

ix. पीडीएस दुकानों के लिए अवसंरचना

x. सूक्ष्म मिनी बैंक/डाकघर/एटीएम

xi. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवा केंद्र

xii. टेलीकॉम कनेक्टिविटी

xiii. सार्वजनिक स्थानों में सीसीटीवी

7. गांव में सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के लिए शुरू किए जा सकने वाले कार्यकलापों में शामिल हैं:

i. सभी पात्र परिवारों के लिए पेंशन - वृद्ध, दिव्यांग और विधवा
ii. आम आदमी बीमा योजना जैसी बीमा योजनाएं
iii. स्वास्थ्य बीमा
iv. पीडीएस - सभी पात्र परिवारों को लिए सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध

8. गांव में सुशासन के लिए किए जा सकने वाले कार्यकलापों में शामिल हैं:

i. मजबूत और जवाबदेह ग्राम पंचायतों तथा सक्रिय ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना
ii. बेहतर सेवा प्रदान करने वाली ई-शासन
iii. सभी के लिए आधार कार्ड का प्रावधान
iv. सरकारी और पंचायत कर्मचारियों की नियमित और समयनिष्ठ उपस्थिति सुनिश्चित करना
v. विभाग के सिटिजन चार्टर के अनुसार समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना
vi. प्रत्येक ग्राम सभा से पहले महिला ग्राम सभाएं आयोजित करना
vii. एक वर्ष में कम-से-कम 4 बार ग्राम सभा आयोजित करना
viii. प्रत्येक तिमाही में बाल सभाएं आयोजित करना
ix. कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में तथा स्थानीय भाषा में दीवारों, सूचना पटलों पर लिखकर अपनी ओर से सार्वजनिक करना। इसमें लाभार्थियों की सूची, मद-वार बजट और व्यय शामिल होना चाहिए।
x. ग्राम पंचायत सूचना प्रदाता केंद्र के रूप में कार्य करे
xi. लोगों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का समय पर निवारण, जैसे कि:
    क. सभी तरह की शिकायतें ग्राम पंचायत/प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएं और दिनांक युक्त पावती दी जाए
    ख. लिखित उत्तर के साथ शिकायतों का निवारण तीन सप्ताह में किया जाए
    ग. शिकायतों की सुनवाई और निवारण के लिए नियमित खुले मंच बनाना जिसमें ग्राम पंचायतें समन्वय करेंगी
xii. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन की अर्धवार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा जिसमें मनरेगा के अंतर्गत बनाई गई सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां सहयोग करेंगी।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 09.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 219 के उत्तर के बिंदु (क) में उल्लिखित विवरण

3 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार एसएजीवाई वेबसाइट (http://saanjhi.gov.in) पर उपलब्ध आंकड़े के अनुसार एसएजीवाई के तहत ग्राम विकास योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यकलापों की क्षेत्र-वार प्रगति

क्र.सं.	एसएजीवाई दिशा-निर्देशों में दी गई सूची के अनुसार क्षेत्र का नाम	वीडीपी के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यकलापों की कुल संख्या	पूरे किए गए कार्यकलापों की संख्या
1	बुनियादी सुविधाएं और अवसंरचना	36596	21488
2	आर्थिक विकास	15861	11185
3	पर्यावरण विकास	4045	2383
4	सुशासन	1209	799
5	मानव विकास	9117	6281
6	व्यक्तिगत विकास	1797	1148
7	सामाजिक विकास	7613	4774
8	सामाजिक सुरक्षा	1010	716
	कुल योग	77248 (सतहत्तर हजार दो सौ अड़तालीस)	48774 (अड़तालीस हजार सात सौ चौहत्तर)